निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 79/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

रिलाईन्स असेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, ए–13/1, छठी मंजिल, सिनर्जी टॉवर, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तरप्रदेश।

प्रार्थी
वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री चौथमल बैरवा (फौत),
2. श्री त्रिलोक चन्द बैरवा,

पता :– प्लॉट नम्बर 2707, मिण्डों का रास्ता, इन्दिरा बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–

1. प्रतिनिधि प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्रीमती शिखा पाटनी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्था मैसर्स जी ई फाईनेंशियल सर्विसेज लि. ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.11.2004 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री चौथमल बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 2707, मिण्डों का रास्ता, इन्दिरा बाजार, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 299 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल 04,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात मैसर्स मैग्मा फिनकोर्प लि. (परिवर्तित नाम) द्वारा दिनांक 24.03.2017 को उक्त खाते का एसाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी रिलायन्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. के मध्य हो गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती शिखा पाटनी ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया। बहस हेतु समय चाहा गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से धारा 14 के तहत प्रस्तु प्रार्थना पत्र को 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी ऋणी को प्रर्याप्त समय दिया जा चुका है और अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 4,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 06,55,973.68/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.09.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाव नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री चौथमल बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 2707, मिण्डों का रास्ता, इन्दिरा बाजार, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 299 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति इस कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

8. आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर